ATTACH PORTON PO

ATTENDED OF THE PROPERTY OF TH

09-09-17

प्रकरण नेशनल लोक अदालत दिनांक 09.09.17 में पेश।

राज्य द्वारा एडीपीओ।

अभियुक्त रंजीत जेल से प्रस्तुत।

अभियुक्त सतीश का हाजिरीमाफी आवेदन अधिवक्ता श्री राजौरिया द्वारा प्रस्तुत, बाद विचार स्वीकार। 🎾 🔨

फरियादी रामकुमार गुर्जर उप0।

प्रकरण राजीनामा हेतु नियत है।

फरियादी की ओर से राजीनामा हेतु लोक अदालत डॉकेट हस्ताक्षर कर एवं प्रस्तुत किया गया। फरियादी की ओर से अपनी पहचान दस्तावेज प्रस्तुत किया। अभियुक्त की पहचान अधिवक्ता श्री राजौरिया द्वारा की गई।

उभयपक्षों को सुना। प्रकरण का अवलोकन किया।

फरियादी ने अभियुक्तगण से राजीनामा बिना किसी भय, दवाब, लोभ–लालच के पारस्परिक संबंधों को मधुर रखने के आशय से किया जाना प्रकट किया है।

अभियुक्तगण पर भादवि० की धारा ३७७ के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। उक्त धारा का आरोप न्यायालय की अनुमति से फरियादी द्वारा शमनीय है। पीठ सदस्यगण द्वारा प्रकरण में राजीनामा स्वीकार किए जाने की अनुशंसा की गयी। पक्षकारों के मधुर संबंध रखने के आशय एवं सामाजिक शांति बनाये रखने के आपराधिक प्रशासन के उददेश्य को ध्यान में रखते हुये राजीनामा आवेदन स्वीकार किया जाना न्यायोचित दर्शित होता है।

अतः राजीनामा बाद तस्दीक मय आवेदन पत्र के स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण को धारा 379 भा०द०वि० के अपराध आरोप से राजीनामा के आधार पर उपशमन की अनुमति प्रदान की जाती है जिसका प्रभाव अभियुक्तगण की दोषमुक्ति होगा। अभियुक्त सतीश के प्रतिभूति व बधपत्र भारमुक्त किए जाते है।

अभियुक्त रंजीत के जेल वारंट पर टीप अंकित की जावे कि अन्य प्रकरण में न चाहा तो छोडा जावे।

> आदेश की प्रति पक्षकारों को निःशुल्क प्रदाय की जावे। प्रकरण का परिणाम सुसंगत पंजी में दर्जकर अभिलेखागार भेजा जावे। सही स्वस्य सवस्य

सही / –

प्रकरण में कोई संपत्ति थाने से सुपुर्दगी पर है।

सही / –

सदस्य

पीटासीन अधिकारी